

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना

राँची, दिनांक 13 / 01 / 2017 ई०।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का० 389 / विभागीय अधिसूचना संख्या-11112, दिनांक-28.12.2016 के द्वारा प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री रघुनाथ ठाकुर, नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव(कोटि क्रमांक-101), श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) में प्रधान आप्त सचिव के फ्लोटिंग पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का० 390 / विभागीय अधिसूचना संख्या-11113, दिनांक-28.12.2016 के द्वारा प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री प्रेम शंकर, नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव(कोटि क्रमांक-102), उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का० 391 / विभागीय अधिसूचना संख्या-11114, दिनांक-28.12.2016 के द्वारा प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री उदय शंकर, नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव(कोटि क्रमांक-103), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के फ्लोटिंग पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का० 392 / विभागीय अधिसूचना संख्या-11115, दिनांक-28.12.2016 के द्वारा प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600) में प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री रामदेव शर्मा, नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव(कोटि क्रमांक-104), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) को अगले आदेश तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

13.1.17
(दिलीप तिकी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 12/प्रो0-09-03/2015 का० 392 / राँची, दिनांक-01/01/2017 ई०।

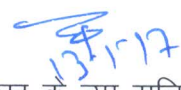
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13.1.17
सरकार के उप सचिव।

392

ज्ञापांक— 12/प्रो0-09-03/2015 का0 / राँची, दिनांक—13/01/2017 ई0।

प्रतिलिपि:— महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची /सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची तथा सभी संबंधित नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।